

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त
रानी बाजार, बीकानेर

विषय- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अ(अ) के अधीन न्यास/संस्थाओं का पंजीकरण
//////////

उत्तरमूल सीमांत समिति, बज्जू। जो दिनांक 08.11.1994 को न्यास विलेख/मेमोरेनडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा गठित है, दिनांक 09.11.1994 को निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अ(अ) के अधीन पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है जो कि निर्धारित समय में है।..... दिन विलम्ब होने पर मियाद बाहर था। न्यास संस्था द्वारा प्रार्थना-पत्र देर से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने से देर को माफ किया जाना है।

प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है अतः इसे नामंजूर किया जाता है।

पंजीकरण दिनांक 09.11.1994 से माना जावेगा।

(2) प्रार्थना-पत्र की धारा 12अ(अ) के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना-पत्रों के रजिस्टर में संख्या न्यास/संस्था में दर्ज कर लिया गया है।

Sd-
(सन्तोष शर्मा)
आयकर आयुक्त,
बीकानेर

क्रमांक: आ.आ./बीका/आ.अ.(तक)/12ए/04-05/1935 दिनांक 27.12.2004

प्रतिलिपि-

- 1 संस्था को।
- 2 श्रीमान अपर आयकर आयुक्त, रेंज-2, बीकानेर।



आयकर अधिकारी(तक)
कृते आयकर आयुक्त, बीकानेर